COURT FEE — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs.20

110

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

विविध-2073-I-16

नारायणदास तनय जगन्नथ गडरिया
निवासी ग्राम नदया तह. राजनगर
जिला छतरपुर ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निग. प्र.क. 2439 एक/15 आदेश दिनांक 20.04.16

आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्रक्रिया संहिता

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है :–

1. यह कि, उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण दि. 20.04.2016 को निराकृत किया गया जिसमें भूलवश ख.नं. का रकवा 2.00 हे0 लेख किया गया है जबकि सही रकवा 1.500 हे0 है इसका सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पारित आदेश दि० 20.04.16 में रकवा 2.00 हे0 के स्थान पर 1.500 हे0 हे सुधार किए जाने की कृपा की जावे।

ग्वालियर
दिनाँक : ....हेतु आवेदक

Dilip Kumar Pasi (Adv.)
E. No. 1979/03
Board of Revenue Court Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9753356589

डी.के. पासी द्वारा आज दि. 12-5-16 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...... निग0-9073-I/16 ......जिला...... छतरपुर........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव एवं श्री डी.के. पासी उपस्थित होकर धारा 152 व्य.प्र.संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार नारायणदास विरूद्ध शासन के आदेश दिनांक 20—04—2016 के पैरा क्र.3 में रकवा 2.000 हें0 के लेख किया गया जबकि सही रकवा 1.500 हे0 है जिसका सुधार किया जाना है। मैंने पारित आदेश का अवलोकन किया। उपरोक्तानुसार सुधार मान्य करते हुए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। यह आदेश पत्रिका दिनांक 20.04.16 का अंश माना जायेगा। सदस्य	

[कृ. प. उ.